सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-10/2017/50/तीस-4-2017

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 02 मार्च, 2017

विषय: अवैध संचालन पर रोक लगाये जाने सम्बन्धी रिट याचिका संख्या-7336(एमबी)/13 हरि सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या-11444(एमबी)/2013 मो0 इलियास खान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 20.08.2013 का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषय में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.08.2013 के अनुपालन में सतर्कता विभाग द्वारा जॉच कर संस्तुतियॉ अग्रेतर कार्यवाही हेतु परिवहन विभाग को संदर्भित की गयी है। सतर्कता विभाग की संस्तुति के संदर्भ में सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के प्रकरण पर शासन स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2- सतर्कता विभाग द्वारा प्रकरण की जॉच कर निम्न संस्तुतियों पर भी कार्यवाही की जानी है, जो निम्नवत् है:-

"प्रत्येक जनपद में अपर जिला अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक तथा सम्भागीय परिवहन अधिकारी की एक समिति बनाकर इस समिति को दूसरे जनपद में भेजकर वहॉ चल रहे अवैध डग्गामार वाहनों की आकस्मिक चेकिंग करायी जाय तथा बिना परमिट के वाहन संचालित पाये जाने पर उत्तरदायी सम्भागीय परिवहन/पुलिस अधिकारियों की उदासीनता हेतु कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय। साथ ही सतर्कता अधिष्ठान के जॉचकर्ता अभिसूचना ईकाइयों के माध्यम से संकलित संदिग्ध अवैध वाहनों की सूची का भौतिक सत्यापन सम्भागीय परिवहन अधिकारियों से कराकर सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।"

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सतर्कता विभाग द्वारा की गयी उपरोक्त संस्तुति के अनुसार प्रत्येक जनपद में निम्नवत् समिति एतद्द्वारा गठित की जाती है:-

1. अपर जिलाधिकारी
2. अपर पुलिस अधीक्षक
3. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)

4- समिति को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रत्येक माह की निरीक्षण आख्या अगले माह की 10 तारीख तक जिलाधिकारी के माध्यम से परिवहन आयुक्त/परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन से संबंधित है और मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर प्रकरण की मानिटरिंग की जा रही है। अत: समयबद्ध अनुपालन आवश्यक है।

भवदीया,
(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-10/2017/50(1)/तीस-4-2017 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया प्रत्येक माह समय सारिणी निर्धारित करते हुए उक्त प्रवर्तन कार्य के लिये जनपदवार आवंटन करते हुए समस्त जिलाधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगें।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
3. अपर परिवहन आयुक्त (पश्चिम/मध्य/पूर्व), उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप परिवहन आयुक्त/संभागीय परिवहन अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
(नर्वेद सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।